प्रारुप-25

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District -Uttarkashi

No--- 166/18

Dated-11/4/18

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.46 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of UPCL (name of user agency) for Elecrification work (purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of **Tok-Purti in Mori tehsils.**

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.46 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.

Encl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

वित्र सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः स्थापन

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT-Uttarkashi (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: U. Harkashi

Dated:...[1].4.]1.0

District Collector Chairman- District Level Col It is further certified that-minuts of Meeting of electrification work in village-Purti. Regarding FRA is as following.

S. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had carried out for the enteir 0.46 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee(s) Sub Division Level Committee (s) and District Level Committee are enclosed annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as requires under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Nagar Palika Parishad has given consent to it.	other traditional Forest Dwellers. No objection certificate concerned villages
(c)	The proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups and pre agricultural communities	Yea copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

तोक-पूर्ति (सिरगा)

जिला पंचायत सदस्य ाजिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी 🛠

हार/रा० पा० जिलाधिका

उत्तरका गी

गोविन्द वन्य जीव विहार सृष्ट्रीय पार्क

परियोजना का नाम: - जनपद उत्तरकाशी ब्लॉक-मोरी में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तोक-पूर्ति के विद्युतीकरण हेतु 11 के0वी0 विद्युत लाईन के निर्माण का कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी.

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-सिरगा के तोक-पूर्ति के विद्युतीकरण कार्य हेत् (0.25 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.21 हे0 सिविल एवं सोयम, शून्य वन पंचायत भूमि, निजी भूमि 0.49 हे0 अर्थात कुल 0.95 हे0 वन भूमि) अर्थात 0.46 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-मोरी) की दिनांक 1913 19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्राप्त कि उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- श्री मुर्न / सह भाषा उपजिलाधिकारी

श्री अस्त क्रिक्ट के प्रतिपालक श्री भाग कल्याण अधिकारी विवसत-मादी उवकाव

श्री 1951-4 व्याप्त बी०डी०सी० क्षेत्र

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वीगृत करते हुन जी जी जी अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि तोक-पूर्ति के विद्युतीकरण कार्य हेतु 0.25 हे0 आरक्षित वन व 0.21 हे0 सिविल सोयम तथा 0.49 निजी भूमि अर्थात् कुल 0.46 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत तोक—पूर्ति के विद्युतीकरण कार्य हेतु 0.46 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

	उपखण्ड स्वरीय वन अधिकार समिति
	उपखण्ड स्त्रसीय वन अधिकार समिति
	तहसील
/	जनपद

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु	प्रतिलिपि :	जिलाधिकारी,		को	सूचनार्थ	एवं	आवश्यक	कार्यवाही	हेतु।
---	-------------	-------------	--	----	----------	-----	--------	-----------	-------

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील.....जनपद.....

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-सिरगा (पूर्ति) तहसील-मोरी, जिला-उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी ब्लॉक-मोरी में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तोक-पूर्ति के विद्युतीकरण हेतु 11 के0वी0 विद्युत लाईन के निर्माण का कार्य।

उत्तराखण्ड में जनपद—उत्तरकाशी के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के निर्माण हेतु (0.25 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.21 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, निजी भूमि 0.49 हे0 अर्थात कुल 0.95 हे0) वन भूमि का उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिरगा (पूर्ति) द्वारा दिनांक कि कि सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि तोक-पूर्ति के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.46 (कुल 0.95 हे0) हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / – ग्राम सचिव मुहर सहित ह0/ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित उद्यान

दिनांक 7/3/की ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ग्राम- सिरगा (पूर्ति)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
.1.	हरीन गरीह	(,219
2,	सार्ते गिंह	must
3.	सालन सिंह	21702
4.	क्रियाल सिंह	and la
5.	सुरेन्द्र लाल	Sover
6.	निश्म नमें	19017
7.	St -1-4	212
8	लाल मिंह	6/16/
9.	ताली या	Tali
10.	पती दास	Pati
1) •	" [बी लाका]	-100/81
12.	नियली देवी	eglote,
13.	बचन देडें	coces
14.	प्रातमा दली	Home Mr.
Ľ.	सन्धि देवी	Some
8		

ूर्धा गर्गा । देवन दास अधान आम प्रवादात-सिर्गा, विञ्चा - मोरी (उठका० : ह0/-ग्राम प्रधान ्रवन दास प्रधान ५ व्यान-सिरमा स्रो(उ०का०)